# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 17/632

राजेन्द्र आत्मज मोतीलाल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूंडला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

**बनाम**

1. सुरजा बाई पुत्री पांच्या ।
2. अनुराज आत्मज पांच्या ।
3. ओम प्रकाश आत्मज मोती लाल ।
4. कमलेश बाई पुत्री मोती लाल ।
5. विमला बाई पुत्री मोती लाल ।
6. गायत्री बाई बेवा मोती लाल जाति कुम्हार निवासीगण मूंडला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 26.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूंडला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 222 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 224 की 0.40 हैक्टर कुल दो किता की 0.50 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादीगण एवं नाराणी बेवा पांच्या के शामलाती खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है । वादिनी का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 से 5 का 1/4 हिस्सा व नारायण बेवा पांच्या का 1/4 हिस्सा दर्ज है । वादिनी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर बहैसियत काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से

की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने खाते दर्ज करावे ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर वादिनी को उसके हिस्से 1/3 का अलग से खातेदार दर्ज किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 से 5 के 1/3 हिस्से की भूमि को अलग किये जाने की डिक्री पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे । नाराणी बेवा पांच्या का नाम डिलीट किया जावे । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 3 राजेन्द्र अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस मिला । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.11.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा रिपोर्ट के सम्बन्ध में बताने पर हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है । मृतक नाराणी बाई का 1/4 हिस्सा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट सुरजा के और अनुराज के नाम दर्ज किया गया है । जबकि यह हिस्सा अपीलान्ट राजेन्द्र व मोती लाल के अन्य वारिस सुरजा बाई एवं अनुराज समान रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह

त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी क्रम 2 के जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी उपस्थित हुई है, प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और इसी दिनांक को विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय ने नाराणी का हिस्सा वादिनी और प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । प्रकरण में अपीलान्ट की यह आपत्ति है कि मोतीलाल के वारिस भी इस आराजी में संभाग से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था ।

11. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में विभाजन की डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निर्णय किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिवत राजीनामा पेश करे, इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.01.2019 को उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा